इसे बेवसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2026—माघ 10, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2026

CT/8/0001/2026-Sec-1-05(CT)(03) : राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. यह अधिसूचना 1 फ़रवरी, 2026 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी |

2. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (इसके बाद 'उक्त नियम' कहे गए हैं) में, नियम 31C के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"31D. खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर माल की आपूर्ति का मूल्य।— (1) इस अध्याय के किसी भी उपबंध में निहित किसी भी बात के बावजूद, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में दिए गए विवरण वाले माल, जो तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संगत अध्याय/ शीर्षक/ उप-शीर्षक/ शुल्क-वस्तु के अंतर्गत आते हैं, की आपूर्ति का मूल्य, ऐसे माल पर घोषित खुदरा विक्रय मूल्य से लागू कर की राशि को घटाकर माना जाएगा, अर्थात्:—

तालिका

क्र. सं.	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/शुल्क वस्तु	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान मसाला
2.	2401	अवनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू के पत्तों को छोड़कर]
3.	2402	सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी
4.	2403	अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू विकल्प; "समांगीकृत" या "पुनरचित" तंबाकू; तंबाकू निष्कर्ष और सत्व (बीड़ी को छोड़कर)
5.	2404 11 00	तंबाकू या पुनरचित तंबाकू युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत
6.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लागू कर की राशि का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा, अर्थात्:—

कर राशि = (खुदरा विक्रय मूल्य × लागू करों की प्रतिशत दर) / (100 + लागू कर दरों का योग)

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "लागू कर" का तात्पर्य एकीकृत माल और सेवा कर (आई.जी.एस.टी) या केंद्रीय माल और सेवा कर (सी.जी.एस.टी) या राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी) या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यू.टी.जी.एस.टी) से है, जैसा कि मामला हो;

(ख) "खुदरा विक्रय मूल्य" का तात्पर्य माल पर घोषित अधिकतम मूल्य से है जिस पर ऐसा माल पैकिंग में रूप में अंतिम उपभोक्ता को विक्रय के लिए हो सकता है और इसमें सभी कर, इयूटी, अधिभार या उपकर सम्मिलित हैं, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं;

(ग) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर एक से अधिक खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां ऐसे खुदरा विक्रय मूल्यों में से अधिकतम को खुदरा विक्रय मूल्य माना जाएगा;

(घ) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर घोषित खुदरा विक्रय मूल्य को आपूर्ति से पहले, दौरान या उसके पश्चात् किसी भी अवस्था में खुदरा विक्रय मूल्य में वृद्धि के लिए बदल दिया गया हो, वहां ऐसे परिवर्तित खुदरा विक्रय मूल्य खुदरा को विक्रय मूल्य माना जाएगा;

(ङ) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर विभिन्न क्षेत्रों में पैकिंग के रूप में विक्रय के लिए विभिन्न खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां प्रत्येक ऐसा खुदरा विक्रय मूल्य उस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट माल के मूल्य निर्धारण के प्रयोजनों के लिए खुदरा विक्रय मूल्य होगा जिससे यह खुदरा विक्रय मूल्य संबंधित है।"

3. उक्त नियमों में, नियम 86B में, प्रथम परंतुक में, खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(च) निर्माता के अलावा पंजीकृत व्यक्ति को इस नियम के उपबंधों से छूट केवल नियम 31D के अंतर्गत निर्दिष्ट माल के संबंध में होगी, जिन पर प्रदायकर्ता द्वारा खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर कर दिया गया है;"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अपर सचिव.

UNICOMPLYCATE
Simplifying Compliance

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2026

क्र. CT-8-0001-2026-Sec-1-पांच (CT).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. CT-8-0001-2026-Sec-1-पांच (CT) (03), दिनांक 30 जनवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th January 2026

CT/8/0001/2026-Sec-1-05(CT)(03) : In exercise of the powers conferred by section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. They shall come into force from 1st day of February, 2026.

2. In the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 31C, the following rule shall be inserted, namely: —

"**31D. Value of supply of goods on basis of retail sale price.** -(1) Notwithstanding anything contained in the provisions of this Chapter, the value of supply of goods bearing the description specified in column (3), falling under the corresponding Chapter/ heading/ sub-heading/ tariff item specified in column (2), of the Table below, shall be deemed to be the retail sale price declared on such goods, less the amount of tax as applicable, namely: -

Table

S. No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	Pan masala
2.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves]
3.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
4.	2403	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; "homogenised" or "reconstituted" tobacco; tobacco extracts and essences (other than biris)
5.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion
6.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

(2) The amount of applicable tax referred to in sub-rule (1) shall be determined in the following manner, namely: —

Tax amount = (Retail sale price X tax rate in % of applicable taxes) / (100+ sum of applicable tax rate).

Explanation. — For the purposes of this rule, —

(a) "applicable tax" means IGST or CGST or SGST or UTGST as the case may be.

(b) "retail sale price" means the maximum price declared on goods at which such goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, duties, surcharge or cess by whatever name called;

(c) where on the package of any specified goods more than one retail sale price is declared, the maximum of such retail sale price shall be deemed to be the retail sale price;

(d) where the retail sale price declared on packages of any specified goods is altered to increase the retail sale price at any stage before, during, or after the supply, such altered retail sale price shall be deemed to be the retail sale price;

(e) where different retail sale prices are declared on different packages for the sale of any specified goods above in packaged form in different areas, each such retail sale price shall be the retail sale price for the purposes of valuation of the specified goods intended to be sold in the area to which the retail sale price relates.".

3. In the said rules, in rule 86B, in the first proviso, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: —

"(f) the registered person other than a manufacturer shall be exempted from the provisions of this rule only in respect of goods specified under rule 31D, on which the tax has been paid by the supplier on the basis of retail sale price;".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH OGREY, Addl. Secy.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.